राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.17(2)शिक्षा–2/2003 जयपुर, दिनांक : 08/05/2016

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयो में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार) के पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयो में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में 6 डी/राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों में से अधिशेष (शाला दर्पण 3ए में लेवल व विषय विरूद्ध कार्यरत तथा 3बी में अंकित 6डी/ राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक) उपलब्ध अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार) के लेवलवार एवं विषयवार पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

1. मावि/उमावि में अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार) के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का निर्धारण–
   (i). अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार) के स्पष्ट रिक्त पद
   (ii). बिन्दु संख्या 2(i) के अनुसार 3ए के अंकित अधिशेष अध्यापकों के अन्यत्र समायोजन से होने वाली रिक्तियां

2. अधिशेष अध्यापक जिनका पदस्थापन किया जाना है, का निर्धारण–
   (i) शाला दर्पण के 3ए में अंकित अध्यापक जो
      A. लेवल–1 के हैं, किन्तु लेवल–2 के पद पर कार्यरत हैं
      B. लेवल–2 के हैं, किन्तु लेवल–1 के पद पर कार्यरत हैं
      C. लेवल–2 में विषय विरूद्ध कार्यरत हैं (स्वीकृत गणित विषय के विरूद्ध कार्यरत विज्ञान एवं स्वीकृत विज्ञान विषय के विरूद्ध कार्यरत गणित अध्यापक को अधिशेष नहीं माना जाये)
      D. लेवल–2 में सामान्य विषय के अध्यापक मात्र लेवल–1 पर पदस्थापन के लिए ही योग्य होंगे।
   (ii) शाला दर्पण के 3बी में अंकित वे अध्यापक जो 6डी के तहत चयनित हैं अथवा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त हैं।

3. यदि बिन्दु संख्या 2(i) एवं 2(ii) में समायोजित होने वाले अध्यापक लेवल–1 एवं लेवल–2 (विषयवार) की संख्या बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संबंधित लेवल/विषय की रिक्तियों से कम है तो उक्त शेष रिक्त पदों की संख्या के बराबर संबंधित लेवल–1/लेवल–2 (विषयवार) के अध्यापक प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत ऐसे

अध्यापक जो 6डी के तहत चयनित हों अथवा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त हों, वो संबंधित जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार सैट अप परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जाकर पदस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार अध्यापक लेवल–1 की रिक्तियों के बराबर लेवल–1 के अध्यापक (बिन्दु संख्या 2 व 3 की प्रक्रिया के उपरान्त भी) उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बिन्दु संख्या 6 के क्रम में लेवल–2 के विषय क्रमशः सामाजिक विज्ञान, हिन्दी तथा संस्कृत की काउन्सलिंग हेतु उस विषय की रिक्तियो से पदस्थापित किये जाने वाले अध्यापक अधिक हैं तो लेवल–1 की शेष रिक्तियों में से उतनी ही रिक्तियां जोडकर कॉमन रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित की जाकर पदस्थापन किया जायेगा। लेवल–2 के लिए लेवल–1 की रिक्तियों का निर्धारण कक्षा 1 से 5 के नामांकन के घटते क्रम में किया जायेगा। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के लेवल–2 अध्यापक लेवल–1 के विरूद्ध पदस्थापित नहीं किये जायें।

5. यदि बिन्दु संख्या 2(i) एवं 2(ii) में समायोजित होने वाले अध्यापक लेवल–1 एवं लेवल–2 (विषयवार) की संख्या बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संबंधित लेवल/विषय की रिक्तियों से अधिक है तो ऐसे शेष लेवल–1/लेवल–2 (विषयवार) अध्यापकों को कनिष्ठ वरीयतानुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया जावेगा।

6. बिन्दु संख्या 2 व 3 से उपलब्ध अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार) का पदस्थापन परामर्श शिविर (Counselling) द्वारा किया जायेगा। परामर्श शिविर (Counselling) का आयोजन पद/विषयवार निम्न क्रमानुसार किया जायेगा :–
   (i) अध्यापक लेवल–1
   (ii) अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक अध्ययन)
   (iii) अध्यापक लेवल–2 (हिन्दी)
   (iv) अध्यापक लेवल–2 (तृतीय भाषा कॉमन मेरिट से)
   (v) अध्यापक लेवल–2 (गणित/विज्ञान कॉमन मेरिट से)
   (vi) अध्यापक लेवल–2 (अंग्रेजी)

7. प्रदर्शित की जाने वाली रिक्तियों की प्रक्रिया–
   (i) <u>अध्यापक लेवल–1</u>
   बिन्दु संख्या 1 के अनुसार समस्त रिक्तियां प्रदर्शित की जायेगी।
   (ii) <u>अध्यापक लेवल–2 (विषयवार)</u>
      (a) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार विषय विशेष में पदस्थापित किये जाने वाले अध्यापकों की संख्या अधिक है तो समस्त रिक्तियां प्रदर्शित की जायेगी अन्यथा स्थिति में बिन्दु संख्या 4 के अनुसार लेवल–1 की रिक्तियां जोडते हुए रिक्तियां प्रदर्शित की जायेगी।
      (b) गणित/विज्ञान की रिक्तियों की सूची कॉमन तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी।
      (c) तृतीय भाषा के अध्यापक के पदस्थापन के समय इस बात का विशेषतः ध्यान रखा जायेगा कि पदस्थान सम्बन्धित भाषा के रिक्त पद पर ही किया जायेगा।

8. उपलब्ध अध्यापक लेवल–1 एवं लेवल–2 (विषयवार) के पदस्थापन हेतु वरीयता का निर्धारण निम्न क्रम में किया जावेगा :–
   i. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यथी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
   ii. विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
   iii. महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
   iv. शेष अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)

9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम द्वारा बिन्दु संख्या–7 के अनुसार तैयार की गई रिक्तियों की सूची एवं बिन्दु संख्या–8 के अनुसार तैयार की गई वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय पर किया जाकर वरीयता सूची में निर्धारित वरीयता क्रमानुसार Counselling Camp (परामर्श कैंप) आयोजित किया जावेगा। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम समस्त प्रक्रिया के नोडल

08.5.16

अधिकारी रहेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–द्वितीय व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक नोडल अधिकारी द्वारा चाही गई समस्त सूचनाऐं प्रेषित करते हुए अपेक्षित सहयोग करेंगे।

10. कार्मिक द्वारा Counselling Camp (परामर्श कैंप) में चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश **कैंप के दिन** ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।

11. जो अध्यापक लेवल–1 एवं लेवल–2 (विषयवार) Counselling (परामर्श प्रक्रिया) में अनुपस्थित रहेगें, उन्हें Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।

12. उक्त प्रक्रिया में राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित कार्मिकों का पदस्थापन/समायोजन शहरी क्षैत्रों में नहीं किया जाये।

13. शाला दर्पण की 3बी में दर्ज लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं सहायक कर्मचारी/समकक्ष का समायोजन जिले के मावि/उमावि में विकल्प प्राप्त कर किया जाएगा।

14. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही details where about) की सही जाँच कर आदेश जारी किये जावे, त्रुटियाँ नहीं हो। संस्थागत त्रुटियाँ होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध विभागीय जाँच सुनिश्चित की जावें।

15. मावि/उमावि में कार्यरत ऐसे अध्यापक लेवल–1/लेवल–2 (जिनका पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के संबंध में राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत चयन नहीं किया गया है) तथा शाला दर्पण की 3बी सूची में दर्ज प्रबोधक/पैरा टीचर/शिक्षा कर्मी/अन्य कार्मिक जो माध्यमिक शिक्षा में समायोजन योग्य नहीं हों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया जावेगा। **शाला दर्पण के 3बी में दर्ज शारीरिक शिक्षक के समायोजन के लिए पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।**

16. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया के उपरान्त शाला दर्पण की 3 बी सूची में शारीरिक शिक्षक के अतिरिक्त कोई भी अध्यापक/कार्मिक नहीं रहेगा।

17. उक्त समस्त प्रक्रिया दिनांकः 28 मई 2016 तक पूर्ण कर ली जावेगी।

भवदीय

08.5.16

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का मावि/उमावि में समन्वयन होने से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार) के पदस्थापन एवं सहायक कर्मचारी व समकक्ष के समायोजन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त कार्यवाही पश्चात् शाला दर्पण की 3 बी सूची में शारीरिक शिक्षक के अतिरिक्त कोई भी अध्यापक/कार्मिक नहीं रहें :–

1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग...।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा जिला..।

08.5.16

शासन उप सचिव